संख्या-254/2015/2811/नौ-5-15-94बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, ठाकुरद्वारा,
जनपद-मुरादाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी के अन्तर्गत जल निकासी के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-694/न0पा0प0ठा0/2015-16, दिनांक 21 अप्रैल, 2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार नगर पालिका परिषद्, ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये संलग्न सूची में अंकित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 313.19 लाख (₹ तीन करोड़ तेरह लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 156.60 लाख (₹ एक करोड़ छप्पन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1.	मुरादबाद	नगर पालिका परिषद्, ठाकुरद्वारा	313.19	313.19	156.60
		योग		313.19	156.60

(₹ एक करोड़ छप्पन लाख साठ हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमश: इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक ***"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-254/2015/2811(1)/नौ-5-15-94बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-254/2015/2811(1)/नौ-5-15-94बजट/2015 दिनांक 22 जुलाई 2015 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुरादाबाद	नगर पालिका परिषद्, ठाकुरद्वारा	1. वार्ड नं0 8 व 10 के मध्य श्री मो नसीम के मकान से श्री कक्कू के मकान तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.75	24.75	
			2. वार्ड नं0 9 व 11 के मध्य श्री श्री उमेश गुप्ता के मकान से श्री हाजी अजमल के मकान तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.87	24.87	
			3. वार्ड नं0 8 व 10 के मध्य ईदगाह की पुलिया से श्री रामधन के मकान तक	24.75	24.75	
			4. वार्ड नं0 21 में बिजली घर की पुलिया से श्री खलील साहब की दुकान तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	14.98	14.98	
			5. वार्ड नं0 10 में श्री लक्ष्मन सिंह के मकान से श्री तोता के प्लाट तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.75	24.75	
			6. वार्ड नं0 10 में बन्दे की दीवार से ट्रांसफार्मर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	17.00	17.00	
			7. वार्ड नं0 10 में धोबियोंवाले कब्रिस्तान से नाईयों वाले कब्रिस्तान तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.75	24.75	
			8. वार्ड नं0 10 में श्री जानी के प्लाट से पीडब्ल्यूडी रोड वाया श्री अकबर अली के मकान तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	15.12	15.12	
			9. वार्ड नं0 10 में श्री गुड्डू के मकान से श्री शाहिद धोबी के मकान तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.75	24.75	
			10. वार्ड नं0 01 व 10 में रेटावाले के मकान से पजाया वाले तालाब तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.75	24.75	
			11. वार्ड नं0 08 में कुड़का नदी से श्री बुद्धा के मकान तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.75	24.75	
			12. वार्ड नं0 25 में कमालपुरी चौराहे पर श्री हब्लू के प्लाट से एस0डी0एम0 कोर्ट तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	8.67	8.67	
			13. वार्ड नं0 08 में श्री मुशाहिद के मकान से श्री मुन्ना सिंह के मकान तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.75	24.75	
			14. वार्ड नं0 9, 10 व 11 के मध्य श्री जगदीश के मकान से छैराहे की पुलिया तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	9.80	9.80	
			15. वार्ड नं0 8 में श्री शिवेन्द्र गुप्ता के मकान से रमनावली पुलिया तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	24.75	24.75	
			योग	313.19	313.19	156.60

(रू0 एक करोड़ छप्पन लाख साठ हजार मात्र)

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-22/07/2015

प्रेषण संख्या:- 254-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-254-2015-2811-9-5-15-94B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मुरादाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15660000 15660000	15660000 15660000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15660000 15660000	15660000 15660000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ छप्पन लाख साठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ छप्पन लाख साठ हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी